बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.सं / 138 / 2021– 317

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ।

पटना 14, दिनांक– 28/04/2023

विषय – नालंदा जिलान्तर्गत गंगा जल उदवह योजना के तहत राजगीर एवं आस–पास क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिये पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.1666 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Water/148202/2021/948 दिनांक 28.02.2023 इस कार्यालय का पत्रांक 176 दिनांक 16.03.2023 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 2.1666 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर दो भाग (भाग–A एवं B) में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग–A में 1–7 शर्तें तथा भाग–B में 1–11 शर्तें अधिरोपित है जिसका कंडिकावार अनुपालन आपके स्तर से अपेक्षित है।

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग–A के शर्त्त संख्या 1 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्त्तमान मजदूरी दर पर क्षतिपूरक वनीकरण मद में रू० 25,30,038 / – (रूपये पच्चीस लाख तीस हजार अड़तीस) मात्र का मांग किया गया था जो मजदूरी दर रू0 373 / – प्रतिमानव दिवस पर आधारित था।

3 श्रम संसाधन विभाग, बिहार के द्वारा दिनांक 01.04.2023 से मजदूरी दर संशोधित करते हुए रू0 388 / प्रतिमानव दिवस कर दिया गया है। क्षतिपूरक वनरोपण प्राक्कलन को रू0 388 / प्रतिमानव दिवस पर संशोधित करने पर रू0 **26,31,782 / – (रूपये छब्बीस लाख एकतीस हजार सात सौ बैरासी) मात्र** होता है जो प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

4. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग–A के शर्त्त संख्या 2 के आलोक में परियोजना निर्माण में आश्रयणी अन्तर्गत अपयोजित होने वाली 0.3147 हे० वन भूमि के लिये 9.57780 लाख प्रति हे० **X 5** के दर से रू० 15,07,067 / – एवं परियोजना निर्माण में आश्रयणी के बाहर अपयोजित होने वाली 1.8519 हे० वन भूमि के लिये 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 17,73,713 / – अर्थात् **कुल रू० 32,80,780 / – (बत्तीस लाख अस्सी हजार सात सौ अस्सी) मात्र** NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

5. **उपर्युक्त CA एवं NPV मद की कुल राशि रू० 59,12,562/– (रूपये उनसठ लाख बारह हजार पाँच सौ बासठ) मात्र को मंत्रालय के वेब–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।**

6. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को UTR No एवं दिनांक के साथ e-challan की मूल प्रति दी जाय।

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र के भाग–A में सन्निहित 1–7 शर्त्तें तथा भाग–B में सन्निहित 1–11 शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./138/2021–317 दिनांक– 28/04/2023

प्रतिलिपि– वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा/वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/23
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।